प्र.सं. 12/2020 ताराचन्द बनाम देवीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान का तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मजावद में प्रार्थी के कब्जे का त एवं खातेदारी की आराजी नंबर 2021 रकबा 0.0850 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी विपक्षी की आराजी नंबर 2020 जो मुख्य आम रास्ते से लगी हुई है उसकी पाली से बने हुए रास्ते से कई वर्शो से आते जाते हैं एवं विपक्षी ने कभी कोई एतराज नहीं किया, लेकिन अब विपक्षी के मन में दुर्भि संन्धि आ जाने से आने जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा काटे व पत्थर डालकर रास्ते को बन्द कर दिया है, जिससे प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने एवं कृशि उपकरण ले जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः विपक्षी द्वारा जो अवरोध कारित किया गया है उसे तत्काल हटवाया जावे एवं रास्ता खुलवाया जाकर राजस्व रेकार्ड व नक ो में उक्त रास्ते का अमल दरामद किया जावे। विपक्षी ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त भूमि में कृशि कार्य नहीं कर रिहाय ी मकान बनवाकर निवास करता है, जिससे वह रास्ते का हकदार नहीं है एवं उक्त धारा के तहत केवल कृशि कार्य के लिए ही रास्ते की मांग की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। साथ ही आदे ा 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.08.2020 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20.08.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री कैला ा नागदा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि इस मामले में धारा 251–क के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इस मामले में प्रार्थना पत्र पे ा होने के बाद उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट मंगवायी थी जो दिनांक 12.07.2019 को भेजी, जिसमें देवीलाल के खेत पर आने जाने का रास्ता आराजी नंबर 2019 से बताया है एवं दूबारा रिपोर्ट पुनः मंगवाये जाने पर उसमें भी 22.10.2019 को आराजी नंबर 2019 का उपयोग एवं रास्ते के रूप में प्रस्तावित होना बताया हैं, किन्तु इसके बाद भी पटवारी हल्का तहसीलदार से मिलकर एक और रिपोर्ट मंगवा ली, जिसमें अपीलान्ट की आराजी नंबर 2020 से प्रस्तावित रास्ता बता दिया, जो गलत हैं एवं इस रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह भी गलत है। इतना ही नहीं रेस्पोन्डेन्ट ने आराजी नंबर 2021 रकबा 0.0850 हैक्टर हेतु रास्ता चाहा है, जिसमें से 0.0500 हैक[illegible]ूमि [illegible]बादी में कन्वर्ट हो चुकी है तथा मात्र 0.0350 हैक्टर भूमि ही कृशि भूमि [illegible] स्थिति में जहां आबादी एवं कृशि भूमि के लिए रास्ता चाहा [illegible] उसका श्रवणाधिकार [illegible] न्यायालय का होता है। जैसाकि आर.आर[illegible] 2000 में तय किया ग[illegible] अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:38 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 12/2020 ताराचन्द बनाम देवीलाल व अन्य

किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि पत्रावली पर तहसीलदार द्वारा विरोधाभाशी मौके की रिपोर्टें प्रस्तुत की गयी हैं, पहली दो रिपोर्टों में तो आराजी नंबर 2021 में आने जाने हेतु रास्ता का उपयोग एवं वैकल्पिक रास्ता आराजी नंबर 2019 से बताया है, जबकि बाद की रिपोर्ट में रास्ता आराजी नंबर 2020 से बता दिया गया है, जिससे तहसीलदार की रिपोर्ट संदेहास्पद हो जाती है एवं ऐसी रिपोर्ट के आधार पर पारित अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण हो जाता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 8/2017 निर्णय दिनांक 06.08.2020 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पुनः पक्षकारों की उपस्थिति में रिपोर्ट मंगवायी जाकर तद्नुसार उक्त मौका रिपोर्ट पर पक्षकारों सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.02.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:38 IST
Reason: SelfAttested